

प्रपत्र-XI

[नियम 27 का उप-नियम (19)]

किसी संस्था को बच्चा सुर्पुद किए जाने का आदेश

प्रभारी अधिकारी

चूँकि (दिनांक)..... (माह) 20..... (वर्ष) को किशोर न्याय (बच्चों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 33 (4) के अन्तर्गत देख रेख और संरक्षण में रह रहे.....
(बच्चे का नाम), पुत्र/पुत्रीआयु निवासी.....(मकान नं० सड़क, गांव/शहर, तहसील, जिला राज्य का पूरा ब्यौरा दें) को..... अवधि के लिए आश्रय गृह/बाल गृह में रखे जाने का आदेश बाल कल्याण समिति द्वारा दिया गया है।

एतद्वारा आपको यह प्रधिकार जाता है तथा आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त आदेश के विधिवत कार्यान्वयन हेतु उक्त बच्चे को अपने प्रभाराधीन स्वीकार करें और उसे किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 33 (1) के अन्तर्गत आश्रय गृह/बाल गृह में रखें।

(मेरे हस्ताक्षर एवं बाल कल्याण समिति की मुहर से जारी)

..... दिनांक.....(माह).....20.....
(वर्ष)।

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष /सदस्य

बाल कल्याण समिति